0/25

15/10/25 पत्रा० पेश हुई। वकील वादी। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम चिरकुआ तहसील नदबई पर वादी को 1/16 हिस्सा तथा प्रति० संख्या 01 लगायत 4 को 1/64 वाहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 एवं उनकी माता नाथिया पत्नि धुरिया प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के पिता पांच्या के स्थान पर पप्पू दर्ज किया जाता है तथा प्रति० [illegible] लगायत [illegible] प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 7 [illegible] उनकी माता नाथिया पत्नि धुरिया के [illegible] [illegible] डिक्री [illegible] मुताबिक किये जाते है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

रामोली बनाम पून्ना वगै०

दावा बाबत् 88,89,,188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 140 92/2024 2023

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ...... व हाजरी वादी मिनजानिब मुददा व .... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर वादी को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 एवं उनकी माता नथिया पत्नी धूरिया प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तथा वादी के पिता का नाम पाँच्या के स्थान पर पप्पू शुद्ध किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व उनकी माता नथिया पत्नी धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल के नाम चल रहे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – की अदा करें। ____________ फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक

व दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.05.2025 को जारी की गई।

दस्तखत—

उप जिला कलेक्टर
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

मुहर

मुददई	रूप्या	पैसा	मुददालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रामोली पुत्र पप्पू जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/1 प्रेमसिंह पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/2 लक्ष्मण पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई।
   1/3 सुन्दर पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई।
   1/4 मुकेश पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/5 कमलेश पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/6 वैजन्ती पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/7 सुमन पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/8 रामवती पत्नि रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई

वादिनी

बनाम

1. पुन्ना पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
2. मुन्ना पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
3. बाबू पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
4. रामलाल पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
5. मवासी पि0 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
6. राधाकिशन पि0 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
7. जीवनी पुत्री धूरिया पत्नि मूलचंद जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
9. जंगलिया उर्फ जवाहर सिंह पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
10. हरीसिंह पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
11. सेठ पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई

— असल प्रतिवादीगण

12. कन्नीराम पि0 चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
13. दीनदयाल पि0 चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
14. भगवती प्रसाद पि0 चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
15. मैनेजर पी0एन0बी0, नदबई।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

उप जिला कलेक्टर
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 140/2023
किस्म दावा 88,89,18 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2023/000237
निर्णय दिनांक 12.05.25

1. रामोली पुत्र पप्पू जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/1 प्रेमसिंह पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/2 लक्ष्मण पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई।
   1/3 सुन्दर पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई।
   1/4 मुकेश पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/5 कमलेश पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/6 वैजन्ती पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/7 सुमन पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
   1/8 रामवती पत्नि रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई

वादिनी

बनाम

1. पुन्ना पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
2. मुन्ना पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
3. बाबू पि0 लच्छी. जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
4. रामलाल पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
5. मवासी पि0 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
6. राधाकिशन पि0 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
7. जीवनी पुत्री धूरिया पत्नि मूलचंद जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
9. जंगलिया उर्फ जवाहर सिंह पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
10. हरीसिंह पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
11. सेठ पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई

– असल प्रतिवादीगण

12. कन्नीराम पि0 चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
13. दीनदयाल पि0 चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
14. भगवती प्रसाद पि0 चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
15. मैनेजर पी0एन0बी0, नदबई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

– तरतीवी प्रतिवादीगण

12/5/25

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एडवो(वादी)

निर्णय दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि खाता संख्या 78 के विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 153 रकबा 0.28, 155 रकबा 0.27, 156 रकबा 0.27 कुल किता 04 कुल रकबा 1.10 हैक्टे. वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/16 हिस्से पर वादी खातेदार काश्तकार की तरह काबिज चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजी के 1/64, 1/64, 1/64, 1/64 हिस्से पर खातेदार की तरह काबिज है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7, 1/64, 1/64, 1/64, 1/64 हिस्से पर खातेदार की तरह काबिज थे। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 की मृतक माता नथिया पत्नि घूरिया 1/64 हिस्से की खातेदार की तरह काबिज थी। अब प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 अपनी माता नथिया के मरने के बाद उसके हिस्से सहित उक्त आराजी पर 1/48, 1/48, 1/48, पर खातेदार की तरह काबिज है तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14, 1/4, 1/4, 1/4, हिस्से के खातेदार काबिज है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 11 1/48, 1/48, 1/48, हिस्से के खातेदार काबिज है।
2. यह है कि विवादित हाल वाद पत्र की आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरिके सें वादी के नाम 1/48 हिस्से पर खातेदारी के इन्द्राज़ात चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी पर गलत तरिके से राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता का पांच्या दर्ज कर दिया गया हैं जबकि वादी के पिता का सही नाम पप्पू है। तथा वादी उक्त आराजी के 1/16 हिस्सा पर खातेदार की तरह काबिज़ चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड हाल में विवादित आराजी पर गलत तरिके से 1/48, 1/48, 1/48, 1/48,हिस्से पर खातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे है। जबकि उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 1/64, 1/[illegible] 1/64 हिस्से पर खातेदारी की तरह काबिज है। तथा प्रतिवादीगण [illegible] 5 लगायत 7 व उनकी मृतक माता नथिया पत्नि घूरिया जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील नदबई के नाम उक्त विवादित आराजी पर 1/48, 1/48, 1/48, 1/48

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

12/5/25

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से पर खातेदारी के गलत इन्द्राजात चले आ रहे है। जबकि उक्त प्रतिवादीगण 1/64, 1/64, 1/64, हिस्से पर खातेदारी की तरह काबिज है। व उनकी मृतक माता 1/64 हिस्से पर खातेदारी व काबिज थी। विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 वादपत्र पर खातेदारी के उक्त गलत इन्द्राजात से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वादी विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या वादीपत्र की आराजी पर अपने आपको 1/16 हिस्से पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा अपने पिता का नाम पांच्या के स्थान पर सही नाम पप्पू दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम विवादित आराजी पर 1/48, 1/48, 1/48, 1/48 हिस्से के वेशी इन्द्राजात खातेदारी कलमजन करा पाने का अधिकारी है तथा प्रविताादी गण संख्या 5 लगायत 7 व उनकी माता उक्त नथिया पत्नी धूरिया के नाम 1/48, 1/48, 1/48, 1/48 हिस्से पर विवादित आराजी पर वेशी इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

3. यह है कि विवादित आराजी वादपत्र मद संख्या 2 वादपत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगा. 11 की पुश्तैनी आराजी है। सजरा वादपत्र में अंकित है।

4. यह कि विवादित आराजी के हाल खसरा नंबर 153, 154 वाके चिड़रउआ तहसील नदबई सैटलमेंट संवत 2060 के पूर्व के साबिक खसरा नंबर 104 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से व हाल खसरा नंबर 155 व 156 साबिक खसरा नंबर 103 रकबा 2 बीघा 2 बि0 से बने हैं तथा सैटलमेंट संवत 2028 के खसरा नंबर 103 व 104 सैटलमेंट संवत 2028 के पूर्व के साबिक खसरा नंबर 49 मिन रकबा 3 बीघा 5 बि0 व 49 मिन रकबा 3 बीघा 10 बि0 वाके ग्राम चिडरउआ से बने हैं।

5. यह कि प्रति संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 11 ने वमुकाम चिडरआ तहसील नदबई पर दिनांक 15.10.2023 को वादी को यह एलानियां धमकी दी है कि वादी के नाम विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी पर गलती से 1/48 हिस्से पर ही खातेदारी के इन्द्राजात हैं। तथा वादी के पिता का सही नाम पप्पू के स्थान पर पांच्या दर्ज है इसलिए वादी को उसके हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से बेदखल कर देंगे। उक्त धमकी में अगर प्रतिवादीगण कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी।

6. अंत में प्रार्थना की कि वादी विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी के 1/16 हिस्से का खातेदार व काबिज है तथा वादी के पिता के गलत नाम पांच्या के स्थान पर पप्पू दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम के वेशी इन्द्राजात खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व उनकी मृतक माता नथिया पत्नी धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल नाम के वेशी इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी में राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा वादी को उसके हिस्से से बेंदखल नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। तामील बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 किता 4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके चिडरउआ, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम चिडरउआ, नकल जमाबंदी संवत 2011–14 वाके चिडरउआ, नकल जमाबंदी संवत 2020–2023 वाके ग्राम चिडरउआ, फोटो आधार कार्ड वादी रामोली पुत्र पप्पू पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रेमसिंह पुत्र रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल एवं बदलेराम पुत्र भौंगा जाति कुम्हार निवासी झौरोल पेश किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की गई। अतः वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 के साबिक खसरा नंबर 103 व [illegible] साबिक खसरा नंबर 49 मिन जमाबंदी संवत 2011–14 में पप्पू पुत्र [illegible] 1/4 हिस्से [illegible] खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था। सजरा अनुसार वादी रामोली के पिता का नाम [illegible] था परन्तु पिता का नाम पांच्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

र्ज होने के कारण विवादित आराजी पर जमाबंदी में हिस्सा 1/48 दर्ज कर दिया या जबकि वादी 1/16 हिस्से का हकदार था। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजी में 1/64 वाहिस्सा बराबर निहित था परन्तु गलत तरीके से 1/48 वाहिस्सा बराबर हो गया था। इसी प्रकार धूरिया के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 तथा नथिया पत्नी धूरिया का भी विवादित आराजी में हिस्सा 1/64 वाहिस्सा बराबर निहित होना था परन्तु गलत तरीके से 1/48 वाहिस्सा बराबर इन्द्राज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के इन्द्राजात सही थे परन्तु वादी को प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के पिता पांच्या की संतान बता दिया गया है। जिस कारण वादी का हिस्सा उसके निहित हिस्से से कम हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड एवं वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित संजरा अनुसार तथा वादी द्वारा साक्ष्यवादी के रूप में पेश बयान प्रेमसिंह पुत्र रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल एवं बदलेराम पुत्र भौंगा जाति कुम्हार निवासी झौरोल पेश किए गए, से साबित है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर वादी रामोली का 1/16 हिस्सा निहित है तथा वादी रामोली के पिता का सही नाम पप्पू है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर वादी को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 एवं उनकी माता नथिया पत्नी धूरिया प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तथा वादी के पिता का नाम पाँच्या के स्थान पर पप्पू शुद्ध किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व उनकी माता नथिया पत्नी धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल के नाम चल रहे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

12/5/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner